



प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय  
OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),  
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099  
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI - 400099  
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 15.10.2025

सार्वजनिक सूचना संख्या : 54/2025

**विषय : संस्थागत परामर्श तंत्र के माध्यम से व्यापार सुविधा को सुदृढ़ बनाना।**

इस कार्यालय द्वारा समस्त आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क अभिकर्ताओं तथा अन्य संबद्ध हितधारकों का ध्यान सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 21/2025 - सीमा शुल्क दिनांक 12.09.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें संस्थागत परामर्श तंत्र के माध्यम से व्यापार सुविधा को सुदृढ़ किए जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

2. व्यापार के विकसित होते स्वरूप, डिजिटल प्रसंस्करण पर बढ़ती निर्भरता तथा सेवाओं के मापनीय वितरण की वर्तमान आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा स्थायी व्यापार सुविधा समिति (PTFC) की संरचना एवं कार्यप्रणाली की सम्यक समीक्षा की गई है। यह सार्वजनिक सूचना इस विषय में पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों का समेकन एवं प्रतिस्थापन करती है, तथा परामर्शात्मक निर्णय प्रक्रिया, हितधारकों की भागीदारी एवं शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रावधान करती है।

3. फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन से सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में मानकीकरण एवं एकरूपता सुनिश्चित हुई है। तथापि, जीवंत बिल ऑफ एंट्री के निस्तारण में उत्पन्न होने वाली विलंब की समस्या के समाधानार्थ, एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें अनाम वृद्धि तंत्र (Anonymous Escalation Mechanism - AEM) [परिपत्र संख्या 14/2021-सीमा शुल्क दिनांक 07.07.2021 तथा 23/2022-सीमा शुल्क दिनांक 03.11.2022], तुरंत सुविधा केंद्र (Turant Suvidha Kendra - TSK) [परिपत्र संख्या 28/2020-सीमा शुल्क दिनांक 05.06.2020, 45/2020 दिनांक 12.10.2020 एवं निदेश संख्या 09/2020 दिनांक 05.06.2020] तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (National Assessment Centre - NAC) [परिपत्र संख्या 40/2020-सीमा शुल्क दिनांक 04.09.2020 एवं 13/2023 दिनांक 31.05.2023] शामिल हैं।

**3.1** अनाम वृद्धि तंत्र (AEM), ICEGATE पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को बिल ऑफ एंट्री दायर करने के पश्चात ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी शिकायतें संबंधित फेसलेस असेसमेंट समूह (FAG) में संबंधित अपर/संयुक्त आयुक्त को गुमनाम रूप से एवं वास्तविक समय में ट्रेकिंग सुविधा सहित अग्रेषित की जाती हैं।

**3.2** तुरंत सुविधा केंद्र (TSK) फेसलेस मूल्यांकन के तहत सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम बनाने हेतु एक भौतिक तथा परिचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो स्थानीय शिकायतों की निगरानी कर, मूल्यांकन समूहों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए व्यापार की निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होता है।

**3.3** प्रत्येक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (NAC) को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह संबंधित एफएजी में उत्पन्न हो रही विसंगतियों के आधार पर प्राप्त शिकायतों की निगरानी एवं विश्लेषण करें, तथा फेसलेस मूल्यांकन से संबंधित आयात शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक पखवाड़े क्षेत्रीय परामर्श आयोजित कर प्रभावी नियंत्रण एवं निवारणात्मक उपाय सुनिश्चित करें।

**4.** अब यह निर्णय लिया गया है कि स्थायी व्यापार सुविधा समिति (PTFC) की बैठकें पाक्षिक आधार (पंद्रह दिन में एक बार) पर आयोजित की जाएंगी तथा समिति की संरचना का विस्तार करते हुए वर्तमान व्यापार सहभागियों के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी सदस्यता प्रदान की जाएगी – डीजीएफटी, संरक्षकगण, पीजीए, शिपिंग लाइनें, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, व्यापार परिषदें एवं सीमा शुल्क अभिकर्ताओं के प्रतिनिधि। इसके अतिरिक्त पीटीएफसी हेतु संशोधित संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference – ToR) **(अनुलग्नक-1)** निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:

- शिकायतों एवं व्यापारिक बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना
- टीएसके, आईएम एवं आइसगेट हेल्पडेस्क जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी
- अनसुलझे विषयों को उचित कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (NAC) को संदर्भित करना

**5.** इसके अतिरिक्त एक सीमा शुल्क परामर्श समूह (Customs Consultative Group - CCG) भी गठित किया गया है, जो अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण से संबंधित विषयों एवं व्यापक व्यापार प्रभाव वाले मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करता है। व्यापार द्वारा उठाए गए विषयों को पीटीएफसी, सीसीजी, एनएसी इत्यादि मंचों के माध्यम से निवारण का अवसर प्रदान किया जाता है। स्थानीय सीमा शुल्क स्टेशनों अथवा विशिष्ट बंदरगाहों से संबंधित किसी भी हितधारक द्वारा प्रदत्त शिकायतों को, संबंधित पीजीए, संरक्षकगण एवं व्यापार निकायों के साथ परामर्श कर पीटीएफसी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत

किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे विषयों का स्थानीय स्तर पर त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

6. व्यापार समुदाय को परामर्श दिया जाता है कि वे आयात प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की देरी अथवा समस्या के संबंध में संबंधित अपर/संयुक्त आयुक्त (सीमा शुल्क - आयात), या तुरंत सुविधा केंद्र (TSK) से संपर्क करें, जो कि एकल संपर्क बिंदु (SPOC) के रूप में कार्य करते हुए व्यापारिक प्रक्रियाओं के त्वरित निष्पादन हेतु समन्वय स्थापित करता है।

7. इस सार्वजनिक सूचना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसका संज्ञान अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (तकनीकी-आयात), एसीसी, मुंबई को ई-मेल - [pro.acc-sahar@gov.in](mailto:pro.acc-sahar@gov.in) पर भेजा जा सकता है। व्यापारिक सहायता, स्पष्टीकरण अथवा जानकारी हेतु आयातकगण एवं सीमा शुल्क अभिकर्ता तुरंत सुविधा केंद्र (TSK) से ई-मेल - [tsk.accmumbaizone3@gov.in](mailto:tsk.accmumbaizone3@gov.in), दूरभाष: 022-26816696 एवं वेबसाइट - <https://mumbaicustomszone3.gov.in> के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

*मनीष चंद्रा*  
(मनीष चंद्रा)

प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क(आयात),  
हवाई माल परिसर, मुंबई।

#### प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुंबई कस्टम ज़ोन-III
2. प्रधान आयुक्त / आयुक्त (आयात/निर्यात/सामान्य), एसीसी, मुंबई
3. सभी अपर / संयुक्त आयुक्त (आयात), एसीसी, मुंबई
4. सभी अपर / संयुक्त आयुक्त (निर्यात/सामान्य), एसीसी, मुंबई
5. सभी उप / सहायक आयुक्त (सामान्य, आयात एवं निर्यात), एसीसी, मुंबई
6. संबंधित व्यापार संघ
7. बीसीबीए (BCBA)
8. एमआईएल / एयर इंडिया
9. ईडीआई अनुभाग - वेबसाइट पर अद्यतन हेतु
10. कार्यालय प्रति

## अनुलग्नक-I

### स्थायी व्यापार सुविधा समिति (PTFC) की संरचना एवं संदर्भ की शर्तें (ToR)

#### (क) संरचना:

स्थायी व्यापार सुविधा समिति (PTFC) का गठन प्रत्येक सीमा शुल्क स्टेशन पर किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रधान आयुक्त/आयुक्त (सीमा शुल्क), जो भी प्रासंगिक हो, द्वारा की जाएगी तथा इसमें सभी वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की सहभागिता होगी। वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारियों के अतिरिक्त, समिति में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), संरक्षकगण (Custodians), अन्य सरकारी निरीक्षण एजेंसियाँ (PGAs), शिपिंग लाइनें, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, व्यापार परिषदें, सीमा शुल्क अभिकर्ता (Customs Brokers) तथा अन्य वर्तमान व्यापार प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा।

#### (ख) संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference - ToR):

1. आयातित एवं निर्यात वस्तुओं की शीघ्र निकासी को सुनिश्चित करना तथा संबंधित मूल मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप इसकी निगरानी करना।
2. आयात या निर्यात वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित करने हेतु, यदि कोई हो, तो बाधाओं की पहचान करना एवं उन्हें दूर करना। माह के दौरान व्यापार/आयातकों या निर्यातकों द्वारा शिकायतों के माध्यम से उठाए गए मुद्दों/चिंताओं को पीटीएफसी बैठक की कार्यसूची में चर्चा हेतु सम्मिलित किया जाना चाहिए।
3. व्यापार संघों एवं उद्योगों द्वारा प्रस्तुत आयातकों/निर्यातकों की शिकायतों का समाधान करना तथा ऐसे विषय जिनका स्थानीय स्तर पर समाधान संभव न हो अथवा जिनका अखिल भारतीय प्रभाव हो, उन्हें आवश्यकतानुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त के संज्ञान में लाना।
4. त्वरित निकासी प्रक्रिया हेतु प्रभावी समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एकल संपर्क बिंदु (Single Point of Contact - SPOC) की स्थापना करना एवं इसकी जानकारी सभी संबद्ध एजेंसियों के मध्य प्रसारित करना।
5. सीमा शुल्क कार्यप्रणाली में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पीटीएफसी की सदस्यता की नियमित समीक्षा करना।
6. वर्तमान शिकायत निवारण तंत्रों (जैसे TSKs, AEM, ICEGATE हेल्पडेस्क आदि) का समुचित कार्यान्वयन एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना तथा अनसुलझे मुद्दों को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (NACs) को अग्रेषित करना।

7. सभी तुरंत सुविधा केंद्रों (TSKs) की सूची तथा संबंधित संपर्क अधिकारियों की ई-मेल पहचान को आयुक्तालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना एवं उसका प्रसार सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से करना।